झारखण्ड सरकार
राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग

संचिका संख्या–04/स0 भू0 राँची (CCL)–61/18....................../रा0, राँची, दिनांक–...............

राज्यादेश

सेवा में,

महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)
झारखण्ड, पो0–डोरण्डा, राँची।

विषयः– मंत्रिपरिषद् की बैठक दिनांक–21.10.2022 में मद संख्या–17 के रूप में लिये गये निर्णय के आलोक में विभागीय राज्यादेश सं0–652/रा0, दिनांक–21.02.2019 को रद्द करते हुए राँची जिलान्तर्गत अंचल–कांके, मौजा–कदमा, थाना सं0–155 के खाता संख्या–55 एवं प्लॉट संख्या–580 में अंतर्निहित रकबा–5.50 एकड़ गैरमजरूआ खास परती कदीम भूमि (रिनपास के नाम से अर्जित भूमि) (विस्तृत विवरणी संलग्न अनुलग्नक–I) राजस्व विभागीय संकल्प संख्या–48/रा0, दिनांक– 03.01.17 के अनुसार 1,52,96,500/– रूपये (एक करोड़ बावन लाख छियानवे हजार पाँच सौ) प्रति एकड़ की दर से प्रस्तावित भूमि की संगणित सलामी की राशि रू0–8,41,30,750/– (आठ करोड़ एकतालीस लाख तीस हजार सात सौ पचास) रूपये मात्र, सलामी का 1 प्रतिशत वार्षिक लगान 8,41,308/– (आठ लाख एकतालीस हजार तीन सौ आठ) रूपये मात्र, लगान का 75% सेस की राशि 6,30,981/– (छः लाख तीस हजार नौ सौ इक्यासी) रूपये मात्र एवं शेष 29 वर्षों के लिए लगान एवं सेस की देय राशि 4,26,96,381/–(चार करोड़ छब्बीस लाख छियानवे हजार तीन सौ इक्यासी) रूपये मात्र अर्थात् कुल देय राशि 12,82,99,420/–(बारह करोड़ बिरासी लाख निन्यानवे हजार चार सौ बीस) रूपये मात्र (विस्तृत विवरणी संलग्न अनुलग्नक–II) की अदायगी पर सुपर स्पेशियलिटि अस्पताल निर्माण कराने हेतु सी0सी0एल0, राँची के साथ 30 वर्षों के लिए नवीकरण विकल्प के साथ लीज बंदोबस्ती करने के संबंध में।

आदेशः– **स्वीकृत।**

i) उपायुक्त, राँची प्रस्तावित भूमि के हस्तांतरण से संबंधित सभी खातों एवं प्लॉटों में अंकित रकबा का खतियान एवं अन्य राजस्व कागजातों से सत्यापन एवं मिलान कर आश्वस्त होने के पश्चात् ही भूमि की लीज बंदोबस्ती की कार्रवाई करेंगे।

ii) राजस्व विभागीय संकल्प ज्ञापांक–4306/रा0, दिनांक–24.10.2014 के द्वारा सरकारी भूमि के मूल्य का निर्धारित दर/सलामी से संबंधित कंडिका–2 (I) में विनिर्दिष्ट तीन मापदण्डों के अनुसार ही भूमि के मूल्य की गणना कर उसके भुगतान अदायगी पर भूमि की लीज बंदोबस्ती की कार्रवाई की जायेगी। अगर परियोजना से संबंधित दर/सलामी, लगान एवं सेस सहित राशि में अंतर परिलक्षित होता है तो अंतर राशि को संबंधित उपायुक्त द्वारा एकरारनामा करने के पूर्व प्राप्त कर ली जायेगी।

iii) राजस्व विभागीय संकल्प ज्ञापांक–4306/रा0, दिनांक–24.10.2014 की कंडिका 4(g) के आलोक में प्रस्तावित भूमि के लीज बंदोबस्ती की तिथि को भूमि के वर्त्तमान मूल्य के आधार पर सलामी एवं लगान तथा सेस की गणना कर ही संबंधित उपायुक्त द्वारा भूमि का लीज बंदोबस्ती की

कृ.पृ.उ.

जायेगी, परन्तु प्रस्तावित भूमि के मूल्य से यदि कम होता है तो अनुमोदित राशि की ही वसूली कर भूमि का लीज बंदोबस्ती किया जायेगा। किसी भी परिस्थिति में यह राशि अनुमोदित राशि से कम नहीं होगी।

iv) उपायुक्त, राँची द्वारा प्रस्तावित भूमि के एकरारनामा के पूर्व अधियाची विभाग/संस्था से विषयगत परियोजना मे सन्निहित कुल देय राशि का एकमुश्त वसूली कर ली जायेगी।

v) यदि परियोजना के अंतर्गत वृक्षादि है तो वैसी स्थिति में वृक्षों की लागत मूल्य की गणना कर एकरारनामा के पूर्व अधियाची विभाग से राशि प्राप्त कर ली जायेगी।

vi) जिस प्रयोजन हेतु भूमि की लीज बंदोबस्ती की जा रही है, उसमें भूमि की आवश्यकता नहीं रहने अथवा निर्धारित अवधि तक भूमि का उपयोग नहीं किये जाने पर भूमि स्वतः राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग को वापस हो जायेगी।

vii) यदि निर्धारित अवधि के अन्तर्गत अधियाची संस्था द्वारा कार्य प्रारंभ नहीं किया जाता है तो भूमि हस्तांतरण हेतु दी गयी राशि को जब्त कर लिया जायेगा। अधियाची संस्था द्वारा राशि जमा किये जाने के बावजूद भी यदि जिला प्रशासन द्वारा अधियाची संस्था को भूमि उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दोषी पदाधिकारियों/कर्मियों के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई की जायेगी।

viii) प्रसंगाधीन मामले में एकरारनामा का निबंधन कराया जाना आवश्यक होगा एवं निबंधन पर निबंधन शुल्क एवं मुद्रांक शुल्क धार्य होगा। एकरारनामा के निबंधन के समय अधियाची विभाग से उक्त राशि प्राप्त कर ली जायेगी।

ix) अन्य सभी शर्ते राजस्व विभागीय संकल्प संख्या–4306/रा0, दिनांक–24.10.14, संकल्प संख्या–48/रा0, दिनांक–03.01.17 एवं इस्टेट मैन्युअल में निहित प्रावधानों एवं समय–समय पर सरकार द्वारा निर्गत निदेशों के अनुरूप लागू होगी।

x) झारखण्ड राज्य के मरीजों के लिए 50 प्रतिशत बेड आरक्षित की जायेगी।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

ह0/–
(संदीप कुमार)
सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांकः–04/स0 भू0 राँची (CCL)–61/18....................../रा0, राँची, दिनांक–

प्रतिलिपिः– उपायुक्त, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

II. विषय से संबंधित अभिलेख संख्या–01/2021–22 मूल रूप में संलग्न कर वापस किया जाता है।

अनु0–यथोक्त।

ह0/–
सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांकः–04/स0 भू0 राँची (CCL)–61/18.....3755........./रा0 राँची, दिनांक–02-11-2022

प्रतिलिपिः– आयुक्त, दक्षिणी छोटानागपुर प्रमण्डल, राँची को उनके कार्यालय के पत्रांक–2013/रा0, दिनांक–11.07.2022 के प्रसंग में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

2. नोडल पदाधिकारी, ई–गजट, राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

3. राज्यपाल सचिवालय/मुख्यमंत्री सचिवालय/मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग/प्रधान सचिव, वित्त विभाग, झारखण्ड, राँची/उप सचिव, मुख्य सचिव कार्यालय, झारखण्ड/माननीय विभागीय (मुख्य) मंत्री के प्रधान आप्त सचिव/विभागीय प्रशाखा–12 (समन्वय) एवं प्रशाखा–4 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

2/11/22

सरकार के संयुक्त सचिव

अनुलग्नक–I

संचिका सं0–04/स0 भू0 राँची (CCL)–61/18..3755.../रा0, दिनांक–02-11-2022

भूमि की विवरणी :–

क्र0	अभिलेख संख्या	जिला	अंचल	मौजा	थाना सं0	खाता सं0	प्लॉट सं0	रकबा (एकड़ में)	भूमि का किस्म
01.	01/2021–22	राँची	कांके	कदमा	155	55	580	5.50	गैरमजरूआ खास परती कदीम (रिनपास के नाम से अर्जित भूमि)
							सकल कुल योग	**5.50**	

अनुलग्नक–II

मूल्य गणना विवरणी :–

क्र0	अभिलेख संख्या	रकबा (एकड़ में)	निबंधित दर प्रति एकड़ (रूपये में)	सलामी (रूपये में)	सलामी का 1% लगान (रूपये में)	लगान का 75% सेस (रूपये में)	शेष 29 वर्षों हेतु लगान एवं सेस की देय राशि	कुल देय राशि (5+6+7+8) (रूपये में)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	01/2021–22	5.50	15296500	84130750	841308	630981	42696381	128299420
	कुल	**5.50**		**84130750**	**841308**	**630981**	**42696381**	**128299420**

अर्थात बारह करोड़ बिरासी लाख निन्यानवे हजार चार सौ बीस रूपये मात्र।

2/11/22

सरकार के संयुक्त सचिव